**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर**

**रिट याचिका (227) क्रमांक 5639/2008**

बसंत लाल राजवाड़े

**विरुद्ध**

भगमनिया एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.10.2008 को उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर**

**रिट याचिका (227) क्रमांक 5639/2008**

**याचिकाकर्ता/प्रस्तावित पक्षकार:**

बसंत लाल राजवाड़े, पिता होलसाय राजवाड़े, आयु लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी नमनाकला, अंबिकापुर, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**उत्तरवादीगण/वादी:**

1. भगमनिया, पिता सज्जन राजवार, पति गेंदू राम, आयु लगभग 26 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट भिट्ठीखुर्द, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**प्रतिवादीगण:**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. रामाशंकर सिंह, पिता अज्ञात, निवासी ग्राम कोल्ड स्टोरेज के पास, मुन्ना आटा चक्की के पीछे, अंबिकापुर, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
3. गोपाल राम, पिता रामप्रसाद राजवार, आयु लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय- कृषि।
4. मोहन राम, पिता रामप्रसाद राजवार, आयु 60 वर्ष।
5. रंजीत केरकेट्टा, पिता अज्ञात।
6. रामबाई, पति रामप्रसाद, पिता भोंदू, आयु लगभग 40 वर्ष,

   उत्तरवादी क्रमांक 3 से 6 निवासी ग्राम नमनाकला, पावर हाउस के पास, कन्या परिसर रोड, अंबिकापुर, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
7. कौशल्या, पति नेहरू, पिता भोंदू, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट भिट्ठी, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
8. ननकी, पति स्व. भोंदू राजवार, निवासी ग्राम एवं पोस्ट भिट्ठी, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
9. निर्मला, पति श्याम बिहारी सोनी, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नमना, पावर हाउस के पास, कन्या परिसर रोड, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

10. सुंदरी बाई, पति सीताराम पनिका, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नमना, पावर हाउस के पास, कन्या परिसर रोड, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
11. रामावतार, पिता दुलिचन्द्र अग्रवाल, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी अग्रसेन वार्ड, नगर थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
12. घनश्याम पाण्डेय, पिता रामशंकर पाण्डेय, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नमना, पावर हाउस के पास, कन्या परिसर रोड, थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
13. सुभाष अग्रवाल, पिता दुलिचन्द्र अग्रवाल, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी अग्रसेन वार्ड, नगर थाना एवं तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
14. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका)

**एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्ता के लिए श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 14 के लिए श्री विनय हरती, उप-महाधिवक्ता।

---

**-- आदेश --**

**(आज दिनांक 15.10.2008 को पारित किया गया)**

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "व्य.प्र.सं.") की धारा 151 सहपठित आदेश I नियम 10 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-**II**, अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 115-**A**/2005 (भगमनिया विरुद्ध रामाशंकर सिंह एवं अन्य) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.05.2008 (अनुलग्नक-पी/1) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आक्षेपित आदेश दिनांक 09.05.2008 को अपास्त करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए यह याचिका प्रस्तुत की है।

2) संक्षेप में निर्विवाद तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाये गए हैं, यह हैं कि प्रथम उत्तरवादी/वादी ने द्वितीय उत्तरवादी से तेरहवें उत्तरवादी के विरुद्ध ग्राम नमनाकला, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा में स्थित कुल 5.54 एकड़ भूमि, जिसका खसरा क्रमांक क्रमशः 2/22, 2/25 एवं 2/26, संबंधित रकबा 2.60, 1.33 एवं 1.61 है, पर स्वयं के स्वामित्व का दावा करते हुए स्वत्व की घोषणा, आधिपत्य एवं अंतःकालीन लाभ हेतु एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने, खसरा क्रमांक 2/75 रकबा 0.101 हेक्टेयर भूमि का स्वामी होने के नाते, इस आधार पर वाद में स्वयं को एक पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन (अनुलग्नक-पी/4) प्रस्तुत किया कि खसरा क्रमांक 2/75 का एक हिस्सा खसरा क्रमांक 2/25 एवं 2/26 का हिस्सा है और याचिकाकर्ता ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादी/उत्तरवादी क्रमांक 3 से दिनांक 21.03.1995 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से आधिपत्य प्राप्त किया था।

3) प्रथम उत्तरवादी/वादी ने उक्त आवेदन का यह कहते हुए उत्तर प्रस्तुत किया कि खसरा क्रमांक 2/75 की भूमि पूर्णतः भिन्न भूमि है और वह लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। याचिकाकर्ता का वाद पत्र की अनुसूची में वर्णित भूमि अर्थात् खसरा क्रमांक 2, 2/22, 2/25 एवं 2/26 से कोई सरोकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) विद्वान न्यायाधीश ने सभी तथ्यों और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि खसरा/प्लॉट क्रमांक 2/75, जो याचिकाकर्ता के आधिपत्य में है, उसका वाद पत्र की अनुसूची वाली भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः, प्रथम उत्तरवादी/वादी और अन्य प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों के मध्य लंबित वाद में याचिकाकर्ता को पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था।

5) किसी पक्षकार को आवश्यक पक्षकार के रूप में जोड़ने के प्रश्न पर विधि स्पष्ट है। **उदित नारायण सिंह मालपहारिया विरुद्ध एडिशनल मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बिहार एवं अन्य**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

1 AIR 1963 SC 786

> "एक आवश्यक पक्षकार वह है जिसके बिना कोई प्रभावी आदेश नहीं दिया जा सकता; एक उचित पक्षकार वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है, लेकिन जिसकी उपस्थिति कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है।"

उपरोक्त विनिश्चय का अवलंब बाद में **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विरुद्ध ज्ञान देवी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य**[2] के प्रकरण में लिया गया और उसकी पुष्टि की गई।

6) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजिया बेगम विरुद्ध साहेबजादी अनवर बेगम एवं अन्य**[3] के प्रकरण में व्य.प्र.सं. के आदेश **I** नियम 10(2) के अंतर्गत आवेदन में पक्षकार को जोड़ने के प्रश्न पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "13 (2) यह कि संपत्ति से संबंधित वाद में, किसी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के लिए, मुकदमे की विषय-वस्तु में उसका व्यावसायिक हित के बजाय प्रत्यक्ष हित होना चाहिए;"

7) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जे. जे. लाल प्रा. लि. एवं अन्य विरुद्ध एम.आर. मुरली एवं अन्य**[4] के प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि दो व्यक्तियों के बीच स्वत्व के मामले में, तीसरे पक्ष की उपस्थिति न तो अंतर्वलित प्रश्न के निर्णय के लिए आवश्यक है, न ही उसकी उपस्थिति

2 (1995) 2 scc 326
3 Air 1958 sc 886
4

न्यायालय को कार्यवाही में शामिल प्रश्नों को प्रभावी ढंग से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णयित और निराकृत करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

8) विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर, याचिकाकर्ता की उपस्थिति मामले के प्रभावी और पूर्ण न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता, यदि उसे कोई शिकायत है, तो वह उपचारहीन नहीं है। याचिकाकर्ता, यदि उचित समझे, तो विधि के अन्य उपबंधों के अधीन दीवानी अधिकारिता का अवलंब ले सकता है।

9) पूर्वोक्त के आलोक में, याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1 निराकृत किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**